चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/499
दिनांक : 10.05.2013

सचिव,
स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन,
ग्राम–सिकन्दरपुर, पोस्ट–झिझाना, जिला–मुजफ्फरनगर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0–79/सत्तर–2–2013–2(79)/2013, दिनांक 09.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, ग्राम–सिकन्दरपुर, पोस्ट–झिझाना, जिला–मुजफ्फरनगर** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन निरीक्षण मण्डल की आख्या प्राप्त न होने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र–बी पर की गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2013 **से सशर्त सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
02. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
03. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
04. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **स्वामी कल्याण देव वैदिक कालेज फार मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, ग्राम–सिकन्दरपुर, पोस्ट–झिझाना, जिला–मुजफ्फरनगर** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन निरीक्षण मण्डल की आख्या प्राप्त न होने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र–बी पर की गयी संस्तुति के दृष्टिगत **दिनांक 01.07.2013 से सशर्त सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, प0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 1016
दिनांक : 15/6/2010

सेवा में,
सचिव,
उच्च शिक्षा, अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रस्तावित बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, **गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयो में शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, **सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर)** को **स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयों में शैक्षिक सत्र** 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कुलपति जी द्वारा डॉ0 दिनेश कुमार, प्राचार्य, एस0डी0 कालेज, मुजफ्फरनगर के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता / 1490, दिनांक 01.05.2010 द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 29.05.2010 को संस्थान का निरीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की है। सदर्भित महाविद्यालय को प्रस्तावित **बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र,** गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल ने महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं पत्रांजातों का अवलोकन किया तथा निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया

1. शासनादेश दिनांक 10. जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति / सम्बद्धता हेतु गठित संस्तुति का प्रमाण पत्र सलग्न है।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति स्वामी कल्याण देव वैदिक शिक्षा समिति बनत (मु0 नगर) पंजीकरण तिथि 16.10.2008 वैधता तिथि 15.10.2013।
3. महाविद्यालय ने 10000 वर्गमीटर भूमि तीस वर्ष के लिए स्वामी कल्याण देव वैदिक शिक्षा समिति से लीज पर ले रखी है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। लीजडीड मूलरूप से संलग्न है।
4. महाविद्यालय की भूमि के खाता संख्या–90 गाटा संख्या–6 का एक ही गाटा है जिसका संयुक्तता प्रमाण पत्र नजरी नक्शा मूलरूप में संलग्न है।
5. महाविद्यालय ग्राम पचायत में स्थित है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है।
6. सोसाइटी नई है। एक वर्ष की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलंस शीट सलग्न है।
7. सोसाइटी / महाविद्यालय के बचत खाते में 5,71,120 / – रू0 जमा है।
8. बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्राभूत राशि रू0 2,00,000 / –एफ0डी0 नं0–31189413332 दिनांक 29.05.2010 है।
9. प्रबन्धतंत्र द्वारा रू0 50 / – का सत्यापित शपथ पत्र मूलरूप से सलग्न है।
10. महाविद्यालय नया है।
11. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षा पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र / छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालय, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि का प्रमाण पत्र सलग्न है।
12. महाविद्यालय में मानकानुसार फर्नीचर की समुचित व्यवस्था है एवं महाविद्यालय में बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकालय में 765 पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फर्नीचर एवं पुस्तकों के बिल संलग्न है।
13. महाविद्यालय में गृहविज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध है जिसमें पर्याप्त मात्रा में उपकरण / सयंत्र उपलब्ध है।
14. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अपेक्षित है।

क्रमांक.........2

15. मानकानुसार संचालित बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित है। विषय विशेषज्ञों के नाम संलग्न है।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यो के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का फोटोग्राफ, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निरीक्षण मण्डल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
17. निरीक्षण मण्डल की संस्तुति संलग्न है।
18. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति संलग्न है।
19. महाविद्यालय की वेबसाइट एवं ई-मेल की स्थिति www.kalyandevcollege.co.in
20. संस्थान/महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की सुविधा का प्रमाण पत्र संलग्न है।
21. शासनादेश संख्या–4954/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।

उपरोक्त विवरणानुसार संस्थान में निम्नांकित कमियों के अतिरिक्त सम्बद्धता सम्बन्धी शेष मानक पूर्ण है।

01. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।
02. शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

निरीक्षण के समय निरीक्षण मण्डल द्वारा मांगे गये व प्रबन्धतंत्र द्वारा दिखाये गये भूमि, भवन, प्राभूत राशि व आवश्यक संसाधनों आदि के आलोक में निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के समस्त विचारोपरान्त स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना, मुजफ्फरनगर में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0ए0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2010–2011 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ करते है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली 13.22 के अनुपालन में महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष कुलसचिव को सम्बद्धता के सभी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय के द्वारा सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी की जा रही है।

महाविद्यालय के पीछे की चहारदीवारी के निर्माण कार्य प्रगति पर है। शपथ पत्र में महाविद्यालय के प्रथम तल पर सुरक्षा के लिए रेलिंग के कार्य को 15 दिन के भीतर पूर्ण करने का शपथ पत्र सलग्न है।

अतः कुलपति जी के आदेश के आलोक में अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37(2) के अधीन स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्रस्तावित बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) विषयों में शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु लिये गये निर्णय से विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

नोट :– महाविद्यालय के सम्बद्धता प्रस्ताव की जाँच उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2527(20)/सत्तर–2– 2008–2 (166)/2002, दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा गठित समिति द्वारा कर ली गयी है।

संलग्नक :– प्रपत्र 'बी'

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, स्वामी कल्याण देव वैदिक कालिज फॉर मैनेजमेंट एण्ड एजूकेशन, सिकन्दरपुर, झिंझाना (मुजफ्फरनगर) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव